



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 07, 2014/पौष 17, 1935

No. 06]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 07, 2014/PAUSA 17, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जनवरी, 2014

सं. एल-1/132/2013/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2014 है।
- (2) ये विनियम 17.2.2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं एवं निर्यचन

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, अपेक्षित न हो,
 - (क) 'अधिनियम' का अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है।
 - (ख) समयब्लॉक में 'वास्तविक निकासी' से, यथास्थिति, क्रेता द्वारा आहरित की गई इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है।
 - (ग) समयब्लॉक में 'वास्तविक अंतःक्षेपण' से, यथास्थिति, विक्रेता द्वारा उत्पादित या प्रदाय की गई इंटरफेस मीटर द्वारा परिमापित विद्युत अभिप्रेत है।
 - (घ) 'हिताधिकारी' से उत्पादन केन्द्र से उत्पादित विद्युत को क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।
 - (ङ) 'क्रेता' से अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार, अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत का क्रय करने वाला व्यक्ति, जिसमें हिताधिकारी भी है, अभिप्रेत है।

- (च) 'संयोजकता विनियम' से समय-समय पर, यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 अभिप्रेत है और जिसमें इसके पश्चात्वर्ती संशोधन भी सम्मिलित हैं।
- (छ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है।
- (ज) विक्रेता के लिए समयब्लॉक में 'विचलन' से कुल वास्तविक अंतःक्षेपण घटा इसका कुल अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है और क्रेता के लिए इसकी कुल वास्तविक निकासी घटा कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है।
- (झ) इन विनियमों के संबंध में, 'गेमिंग' का अर्थ विचलनों के लिए प्रभार के माध्यम से अनुचित वाणिज्यिक लाभ लेने के उद्देश्य से किसी विक्रेता द्वारा घोषित क्षमता की इरादतन गलत घोषणा होगी।
- (ञ) 'ग्रिड कोड' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है।
- (ट) 'इंटरफेस मीटर' से, समय-समय पर, यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और प्रचालन) विनियम, 2006 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथापरिभाषित इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है।
- (ठ) 'भार प्रेषण केन्द्र' से ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार, क्रेताओं और विक्रेताओं की समन्वयकारी अनुसूची के लिए उत्तरदायी, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है।
- (ड) 'निर्बाध पहुंच विनियम' से, समय-समय पर, यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 अभिप्रेत है और इसमें इसके पश्चात्वर्ती संशोधन भी सम्मिलित होंगे।
- (ढ) किसी समय या समयब्लॉक या किसी अवधि के लिए 'अनुसूचित उत्पादन' से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटे एक्स-बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ण) किसी समय या समयब्लॉक या किसी अवधि के लिए 'अनुसूचित निकासी' से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए मेगावाट या मेगावाट घंटे एक्स-बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है।
- (त) 'विक्रेता' से अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच और दीर्घकालिक पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार, अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से, विद्युत का प्रदाय करने वाले व्यक्ति, जिसमें उत्पादन केन्द्र भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
- (थ) 'समयब्लॉक' से 15 मिनट का ऐसा समयब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों और मात्राओं को 00.00 घंटे पर आरंभ होने वाले पहले समयब्लॉक सहित विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा अभिलिखित किया जाता है।
- (2) यथापूर्वोक्त के सिवाय, जब तक कि संदर्भ के अनुसार या विषय वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या ग्रिड कोड या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड या किसी अन्य विनियम में है।

3. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड के प्रयोक्ताओं द्वारा विद्युत की निकासी तथा अंतःक्षेपण के माध्यम से विचलन व्यवस्थापन के लिए वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से ग्रिड कोड के यथापरिकल्पित ग्रिड अनुशासन, ग्रिड नियंत्रण और ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना है।

4. विस्तार

ये विनियम विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच के माध्यम से सुकर संव्यवहारों में संबद्ध विक्रेताओं और क्रेताओं को लागू होंगे।

5. विचलनों के लिए प्रभार

(1) सभी समयब्लॉकों के विचलनों के लिए प्रभार क्रेताओं द्वारा अधिक निकासी और विक्रेताओं द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा क्रेताओं द्वारा कम निकासी और विक्रेताओं द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्य होंगे तथा इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर समयब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे:

समयब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजैड)		विचलन के लिए प्रभार
नीचे	नीचे नहीं	पैसे/किलोवाट घंटे
	50.05	0.00
50.05	50.04	35.60
50.04	50.03	71.20
50.03	50.02	106.80
50.02	50.01	142.40
50.01	50.00	178.00
50.00	49.99	198.84
49.99	49.98	219.68
49.98	49.97	240.52
49.97	49.96	261.36
49.96	49.95	282.20
49.95	49.94	303.04
49.94	49.93	323.88
49.93	49.92	344.72
49.92	49.91	365.56
49.91	49.90	386.40
49.90	49.89	407.24
49.89	49.88	428.08
49.88	49.87	448.92
49.87	49.86	469.76
49.86	49.85	490.60
49.85	49.84	511.44
49.84	49.83	532.28
49.83	49.82	553.12
49.82	49.81	573.96
49.81	49.80	594.80
49.80	49.79	615.64
49.79	49.78	636.48
49.78	49.77	657.32

49.77	49.76	678.16
49.76	49.75	699.00
49.75	49.74	719.84
49.74	49.73	740.68
49.73	49.72	761.52
49.72	49.71	782.36
49.71	49.70	803.20
49.70		824.04

(प्रत्येक 0.01 एचजैड स्टेप के लिए विचलन हेतु प्रभार 50.05-50.00 एचजैड की फ्रिक्वेंसी रेंज में 35.60 पैसे/किलोवाट घंटे तथा 50 एचजैड से नीचे से 49.70 एचजैड से नीचे की फ्रिक्वेंसी रेंज में 20.84 पैसे/किलोवाट घंटे के समकक्ष होंगे):

परंतु यह कि :

- (i) ईंधन के रूप में कोयले, लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों, जो आयोग द्वारा विनियमित किए जाते हैं, के लिए विचलन हेतु प्रभार, जब वास्तविक अंतःक्षेपण अनुसूचित उत्पादन की अपेक्षा अधिक या कम है, इस विनियम के खंड (3) में विनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार 303.04 पैसे/किलोवाट घंटे की कैप दर से अधिक नहीं होंगे;
 - (ii) कैप दर, ईंधन के रूप में नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस का प्रयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों जिनको केविआ द्वारा विनियमित किया जाता है के विचलन हेतु प्रभारों पर 1.4.2014 से लागू नहीं होगी;
 - (iii) एक समयब्लॉक में क्रेता द्वारा अनुसूची निकासी के 12% से अधिक या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से ज्यादा कम निकासी के लिए विचलन हेतु प्रभार शून्य होंगे;
 - (iv) एक समयब्लॉक में विक्रेता द्वारा अनुसूची उत्पादन के 12% से अधिक या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से ज्यादा अधिक अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु प्रभार, इनफर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण की दशा के सिवाय, शून्य होंगे जो इस विनियम के खंड (5) द्वारा शासित होंगे।
- (2) विचलन के लिए प्रभार का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा:-
- (क) विचलन के लिए प्रभार 50.05 एचजैड और उससे अधिक की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर शून्य होगा।
 - (ख) '50.01 एचजैड से नीचे' और '50.0 एचजैड से नीचे नहीं' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार जो पूर्व वर्ष के किसी छह महीने की अवधि के लिए अधिमानी रूप से पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक, या वर्ष के जनवरी से जून तक या किसी भी अन्य छह महीने, जो आवश्यक समझी जाए, के आयोग द्वारा विनियमित कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभार के मध्यम मूल्य पर आधारित होगा और विचलन कीमत वेक्टर के अनुरूप उचित रूप से समायोजित किया जाएगा।
 - (ग) विचलन कीमत वेक्टर (1) 50.05 एचजैड और '50.01 एचजैड से नीचे और 50.0 से नीचे नहीं' और (2) '50.01 एचजैड से नीचे' और '50.0 एचजैड से नीचे नहीं' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के और '49.70 एचजैड के नीचे' के बीच 0.01 एचजैड के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए तदनुसार, स्टेप होगा।
 - (घ) '49.70 एचजैड से नीचे' की 'ग्रिड फ्रिक्वेंसी' में विचलन के लिए प्रभार किसी छह मास की अवधि के लिए अधिमानी रूप से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक या वर्ष के जनवरी से जून तक या कोई अन्य छह माह की अवधि, यदि आवश्यक समझी जाए, के आरएनएनजी पर आयोग द्वारा विनियमित उत्पादन केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभारों के उच्चतम पर आधारित होगा

और विचलन कीमत वेक्टर के सामंजस्य के अनुरूप उचित रूप से समायोजन किया जाएगा।

(3) ईंधन के रूप में कोयला/लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों जिनको आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, के विचलन हेतु प्रभारों के लिए कैप दर विचलन कीमत वेक्टर पर आयातित कोयले पर ऊर्जा प्रभारों के अनुरूप होगी।

(4) विचलन के लिए प्रभारों का समय-समय पर आयोग द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है तथा तदनुसार, पुनः अधिसूचित किया जाएगा।

(5) यूनिट के शीओडी से पूर्व, परीक्षण के दौरान उत्पादन केन्द्र के उत्पादन यूनिट द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित इन्फर्म ऊर्जा 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए या समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 में आयोग द्वारा बढ़ाए गए समय के लिए परीक्षण के परिणामस्वरूप ग्रिड में अंतःक्षेपित इन्फर्म ऊर्जा के लिए नीचे विनिर्दिष्ट इस प्रकार के अंतःक्षेपण के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के तत्स्थानी कैप दरों की सीमा के अधीन रहते हुए, विचलन हेतु प्रभारों पर संदत्त होगी:

स्वदेशी कोयला/लिग्नाइट/हाइड्रो	भेजा गया ₹ 1.78/किलोवाट घंटे
ईंधन के रूप में एपीएम गैस	31.3.2014 तक भेजा गया ₹ 2.82/ किलोवाट घंटे और तत्पश्चात् भेजा गया ₹ 5.64/किलोवाट घंटे
आयातित कोयला	भेजा गया ₹ 3.03/किलोवाट घंटे
आरएलएनजी	भेजा गया ₹ 8.24/किलोवाट घंटे

(6) दो अतुल्यकालिक अंतरःसंयोजित क्षेत्रों के बीच अंतर क्षेत्रीय विचलन के लिए प्रभारों की संगणना संबंधित क्षेत्र की फ्रिक्वेंसी के अनुसार, विचलन के लिए प्रभारों पर आधारित संबंधित क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा की जाएगी। अंतर क्षेत्रीय विनियमों के लिए तय की जाने वाली रकम इस प्रकार अंतर परिवर्तन के जरिए दो क्षेत्रों के लिए संगणित विचलन के लिए प्रभारों का औसत होगी।

6. घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करना

(1) समय-समय पर यथासंशोधित ग्रिड कोड तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंध क्षमता की घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करने के लिए लागू होंगे।

(2) यथासंभव उत्पादन केन्द्र ग्रिड कोड के अनुसार क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई आगामी दिवस की उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत का उत्पादन करेगा:

परंतु यह कि प्रचालन के दिन उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, यथास्थिति, ग्रिड कोड तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) आयोग स्वप्रेरणा से या आरएलडीसी द्वारा, या किसी प्रभावी पक्षकार द्वारा फाइल की गई याचिका के आधार पर, गेमिंग के आरोपों पर किसी उत्पादन कंपनी या विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर सकेगा और यदि अपेक्षित हो तो आयोग ऐसी रीति, जैसा यह विनिश्चित करे, से जांच का आदेश दे सकेगा। जब उक्त जच से गेमिंग का आरोप साबित हो जाता है तो आयोग अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसी उत्पादन कंपनी या विक्रेता द्वारा प्राप्त विचलन के लिए किसी भी आरोप को अस्वीकार कर सकेगा।

7. विचलन मात्रा की सीमाएं एवं सीमाओं के अधिक्रमण के परिणाम

(1) समयब्लॉक के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी/कम निकासी, इसकी अनुसूचित निकासी के 12% या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 तथा उससे अधिक' है।

परंतु यह कि किसी क्रेता को विद्युत की अधिक निकासी की अनुमति तब नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.70 एचजैड से नीचे है;

59 GI/14-2

स्पष्टीकरण : इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमा राज्य में सभी अंतःराज्यिक इकाईयों, जिसमें वितरण कंपनियां तथा अन्य अंतःराज्यिक क्रेता भी हैं, द्वारा अधिक निकासी की कुल मात्रा पर लागू होगी और संबंधित राज्य की अंतर-राज्यिक सीमा पर लागू होगी।

(2) समयब्लॉक के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण/अधिक अंतःक्षेपण ऐसे विक्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12% या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा, जब फ्रिक्वेंसी 49.70 एचजैड और उससे अधिक हो:

परंतु यह कि :

- (i) विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई कम अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 एचजैड से नीचे है' और विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई अधिक अंतःक्षेपण की अनुमति नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '50.10 एचजैड से अधिक है';
- (ii) यूनिट की सीओडी से पूर्व परीक्षण गतिविधियों और उसे आरंभ करने के दौरान उत्पादन केन्द्रों द्वारा विद्युत के किसी इनफर्म अंतःक्षेपण को 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए या संयोजकता विनियमों के अनुसार, आयोग द्वारा अनुज्ञात बढ़ाए गए समय के लिए उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी।
- (iii) स्टार्टअप गतिविधियों के लिए किसी यूनिट के सीओडी पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा ऊर्जा की किसी प्रकार की निकासी को उपरोक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.70 और उससे अधिक हो।

(3) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विचलन के लिए प्रभारों के अलावा, विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के खंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में प्रत्येक समयब्लॉक के लिए विद्युत की अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए लागू होंगे, जब समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड (7) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, नीचे सारणी अ में विनिर्दिष्ट दरों पर '49.70 एचजैड और उससे अधिक' है:

परंतु यह कि:

- (i) इस विनियम के खंड 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में समयब्लॉकों के दौरान विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन के लिए अधिकतम प्रभार, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी ईंधन के रूप में कोयले, लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों जो केविविआ द्वारा विनियमित किए जाते हैं, द्वारा '49.7 एचजैड और अधिक है', इस विनियम के खंड (9) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, नीचे सारणी आ में विनिर्दिष्ट दरों पर होगा;
- (ii) आरंभिक गतिविधियों के लिए यूनिट के सीओडी के पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत की किसी निकासी को विचलन के अतिरिक्त प्रभार के उद्ग्रहण से छूट होगी।

सारणी अ

क	जब अनुसूची का 12% 150 मेगावाट से कम या उसके समकक्ष है	
(i)	किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी के लिए समयब्लॉक में अनुसूची के 12% से अधिक और 15% तक	समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 20% के समकक्ष
(ii)	किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी के लिए समयब्लॉक में अनुसूची के 15 % से अधिक और 20% तक	समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 40% के समकक्ष
(iii)	किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी के लिए समयब्लॉक में अनुसूची के 20% की अधिकता में	समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 100% के समकक्ष
(iv)	किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में अनुसूची के 12% से अधिक और 15% तक	समयब्लॉक के औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 20% के समकक्ष

	अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 200 मेगावाट से अधिक और 250 मेगावाट तक है	के लिए कैप दर के 40% के समकक्ष या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार, जो भी कम हो,
(iii)	किसी विक्रेता द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए समयब्लॉक में 250 मेगावाट से अधिक है	303.04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलन के लिए कैप दर के 100% के समकक्ष या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार, जो भी कम हो,

(4) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विक्रेता/क्रेता द्वारा प्रत्येक समयब्लॉकों के लिए विद्युत के अंतःक्षेपण/कम निकासी के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.10 एचजैड और अधिक है, विचलन के लिए प्रभारों के अलावा, विचलन के लिए अधिक प्रभार, तत्स्थानी विचलन के प्रभारों, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '50.01 एचजैड से नीचे लेकिन 50.0 एचजैड से नीचे नहीं' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के समतुल्य दरों पर होगी।

(5) कम निकासी/अधिक अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा का अधिक्रमण करने के लिए तथा इस विनियम के खंड (3) में अधिक निकासी और कम अंतःक्षेपण के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार एवं विचलन के लिए प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति क्रमशः इन विनियमों के अनुबंध I और II के अनुसार होगी।

(6) इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत यथाअनुबद्ध विचलन के लिए प्रभारों के अलावा, विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार विद्युत की अधिक आहरण या कम अंतःक्षेपण के लिए लागू होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड (8) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार '49.70 एचजैड से नीचे है' और वह '49.70 एचजैड से नीचे' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 824.04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलन के लिए प्रभार के 100% के समतुल्य होगी :

परंतु यह कि समयब्लॉक के दौरान जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.70 एचजैड से कम है, इस विनियम के खंड 8 में विनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार ईंधन के रूप में कोयले लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों, जिनको, केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता है, द्वारा विक्रेता द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार 303.04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलनों के लिए कैप दर के 100% के समतुल्य होगा।

स्पष्टीकरण: विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार अन्य क्षेत्रों से समग्र रूप में क्षेत्र द्वारा क्रय अधिक निकासी के लिए लागू नहीं होंगे।

(7) इस विनियम के खंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में प्रत्येक समयब्लॉक के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 एचजैड और उससे अधिक है' विद्युत की अधिक निकासी और अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु यह कि आयोग इस विनियम के खंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में अनुसूची से विभिन्न प्रतिशत विचलन पर निर्भर करते हुए, अधिक निकासी और कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिए विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(8) प्रत्येक समयब्लॉक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.70 एचजैड से नीचे है, विद्युत की अधिक निकासी और कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के आचरण पर सम्यक् से विचार करने के साथ समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तत्स्थानी प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु यह कि आयोग '49.70 एचजैड से नीचे' की फ्रिक्वेंसी की विभिन्न रेंज के लिए एवं अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए विचलनों के लिए अतिरिक्त प्रभारों हेतु विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(9) इस विनियम के खंड 2 में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में समयब्लॉकों के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.70 एचजैड और उससे अधिक है', ईंधन के रूप में कोयले,

लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत प्रदाय की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों, जिन्हें केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता हो, द्वारा विद्युत के अंतःक्षेपण के विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड अनुशासन के लिए केविविआ द्वारा विनियमित उत्पादन केन्द्रों के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करने के साथ, कैप दर की प्रतिशतता के रूप में या समयब्लॉक की ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुसूची विचलन के लिए प्रभारों के रूप में, या दोनों, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(10) किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा एक दिशा में (सकारात्मक या नकारात्मक) अनुसूची से सतत विचलन की स्थिति में, ऐसी क्षेत्रीय इकाई (क्रेता या विक्रेता) को प्रत्येक 12 समयब्लॉकों के बाद कम से कम एक बार परिवर्तित अनुसूची से उनके विचलन का चिन्ह परिवर्तित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्रीय इकाई का 7.30 घंटे से 10.30 घंटे की अनुसूची का सकारात्मक विचलन है तो अनुसूची से इसके विचलन का लक्षण, 13वें समयब्लॉक में परिवर्तित होगा, अर्थात् सकारात्मक से 10.30 से 10.45 घंटे से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक, जैसी भी स्थिति हो, में परिवर्तित हो जाएगा।

(11) विनियम 5 के अंतर्गत विचलन के लिए प्रभारों और इस विनियम के खंड (3) और (4) के अंतर्गत विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान को किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उद्गृहीत किया जाएगा। जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक समयब्लॉक के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कम अंतःक्षेपण/अधिक अंतःक्षेपण या अधिक निकासी/कम निकासी की सीमाओं के उल्लंघन के लिए इन विनियमों के खंड 10 के उपबंध के उल्लंघन के जिसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन समुचित समझा जाए, से विचार किया जा सकेगा।

(12) विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण एवं कम आहरण/अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्रभारों की संगणना 'क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाओं' को तैयार करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति द्वारा की जाएगी।

(13) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र मासिक आधार पर विचलन खातों के अभिलेखों को तैयार करेगा और उन्हें अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिसमें अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण की मात्रा तथा सभी समयब्लॉकों के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.90 एचजैड और अधिक' तथा '49.90 एचजैड से कम' हो उसके लिए प्रत्येक क्रेता और विक्रेता के लिए संदेय/प्राप्य विचलन के लिए प्रभारों की तत्स्थानी रकम का अलग-अलग उल्लेख किया जाएगा।

8. भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का अनुपालन

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, विक्रेता और क्रेता ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड अनुशासन के हित में अंतःक्षेपण और निकासी के संबंध में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

9. विचलन के लिए प्रभारों का लेखाकंन

(1) इन विनियमों के अंतर्गत उद्गृहीत विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों सहित विचलन के प्रभारों का विवरण सप्ताह के गुरुवार तक संबंधित आरएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर साप्ताहिक आधार पर संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय द्वारा तैयार किया जाएगा और रविवार की अर्द्धरात्रि को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सात दिनों के लिए अगले गुरुवार तक संघटकों को जारी किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत उद्गृहीत विचलन के लिए प्रभार जिसमें विचलन के अतिरिक्त प्रभार भी हैं, एवं विलम्ब भुगतान के लिए प्राप्त ब्याज, यदि कोई है, के मद्दे सभी भुगतान 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' नामक निधियों में जमा किए जाएंगे जिसका अनुरक्षण तथा प्रचालन इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह कि :

(i) आयोग संबंधित 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' के प्रचालन तथा रखरखाव करने के लिए किसी अन्य इकाई को आदेश दे सकेगा:

(ii) लेखों की अलग बहियां संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय द्वारा विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों एवं विचलन के लिए प्रभारों के मूल घटक और ब्याज घटक के लिए रसी जाएगी।

(3) प्रत्येक क्षेत्र की 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' में प्राप्त सभी भुगतानों को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया जाएगा।

59 GI/14-3

- (क) प्रथम विचलन के लिए प्रभारों की वसूली पर खर्च की गई कोई लागत या व्यय या अन्य प्रभारों के लिए।
- (ख) आगे अतिदेय या शास्तिक ब्याज, यदि लागू है, के लिए।
- (ग) आगे सामान्य ब्याज के लिए।
- (घ) अंत में विचलन के लिए प्रभारों एवं अतिरिक्त प्रभारों के लिए।

स्पष्टीकरण : क्षेत्रीय इकाई से संगृहीत विचलन के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार संबंधित क्षेत्र की उस 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' में रखा जाएगा जहां क्षेत्रीय इकाई अवस्थित है।

10. विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची

- (1) विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और संबंधित संघटक विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को जारी करने के 10 दिनों के अंदर उपदर्शित रकम का संदाय करेगा जिसमें संबंधित क्षेत्र के 'क्षेत्रीय विचलन पूल' लेखा निधि में संबंधित पावर समिति के सचिवालय द्वारा विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार शामिल हैं।
- (2) यदि विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित विचलन के लिए प्रभार हेतु भुगतानों में दो दिन से अधिक का विलम्ब होता है, अर्थात् यह संबंधित क्षेत्रीय पावर समिति के सचिवालय के विवरणी के जारी होने की तारीख से (12) दिनों के आगे होता है, व्यतिक्रमी संघटक को विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर पर साधारण ब्याज अदा करना होगा।
- (3) विचलन के लिए प्रभारों के मद्दे किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाईयों को सभी भुगतान संबंधित क्षेत्र की 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' में भुगतान की प्राप्ति के दो कार्यकारी दिवसों के भीतर किया जाएगा:

परंतु यह कि :

- (i) विचलनों के लिए प्रभारों को जारी करने की विवरणी तारीख से 12 दिनों से आगे संबंधित 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, में विचलनों में प्रभारों के भुगतान में विलम्ब की दशा में उन क्षेत्रीय इकाईयों को, जिन्हें विचलन के लिए भुगतान या उसपर ब्याज प्राप्त करना होता है, क्षेत्र की 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' में उपलब्ध शेष से अदा करना होगा। यदि उपलब्ध शेष क्षेत्रीय इकाईयों को भुगतान करने के लिए प्राप्त नहीं है तो 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' से भुगतान निधि में उपलब्ध शेष से समानुपातिक आधार पर किया जाएगा;
- (ii) 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' को भुगतानों में विलम्ब के लिए जब तक ब्याज अदा करना होगा, इस तथ्य के बावजूद ब्याज अदा नहीं कर दिया जाता कि उन संघटकों को जिन्हें भुगतान प्राप्त करना था उन्हें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' से अदा कर दिया गया है।
- (4) उन सभी क्षेत्रीय इकाईयों से, जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के अंदर विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित विचलन का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इन विनियमों की तारीख से प्रवृत्त पखवाड़े के अंदर संबंधित आरएलडीसी के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्ष में विचलनों की औसत संदेय साप्ताहिक देयता के 110% के समतुल्य साखपत्र खोलने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह कि :

- (i) यदि कोई क्षेत्रीय इकाई चालू वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विचलन के लिए अधिक प्रभार सहित विचलन के लिए प्रभारों का भुगतान करने में असफल रहती है, तो उससे भुगतान की देय तारीख से पखवाड़े के अंदर संबंधित क्षेत्रीय प्रभार प्रेषण के पक्ष में साप्ताहिक बकाया देयता के 110% के समतुल्य साखपत्र खोलने की अपेक्षा की जाएगी;
- (ii) साखपत्र रकम वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में विचलन के लिए प्रतिदेय साप्ताहिक देयता के 110% तक की वृद्धि की जाएगी यदि यह 50% से अधिक तक पूर्ववर्ती साखपत्र की रकम से अधिक है।

दृष्टान्त : यदि 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय इकाई के विचलन के लिए औसत प्रतिदेय साप्ताहिक देयता 20 करोड़ रुपए से अधिक है तो क्षेत्रीय इकाई वर्ष 2010-11 में 22 करोड़ के लिए साखपत्र खोलेगी। यदि 2010-11 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक

प्रतिदेय देयता 35 करोड़ रुपए है, जो 30 करोड़ रुपए की पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत प्रतिदेय सप्ताहिक देयता के 50% से अधिक है, तो वह संबंधित क्षेत्रीय इकाई 16.5 करोड़ रुपए को जोड़ते हुए, 38.5 करोड़ रुपए (1.1*रु 35.0) की साखपत्र की रकम हो जाएगी।

(5) विचलन के लिए प्रभारों की विवरणी को जारी करने की तारीख से 12 दिनों की विनिर्दिष्ट समय के अंदर 'क्षेत्रीय विचलन पूल लेखा निधि' में संदाय करने में असफल रहने की दशा में, आरएलडीसी व्यतिक्रमी की सीमा के लिए संबंधित संघटकों के साखपत्र को भुनाने की हकदार होगी और संबंधित संघटक तीन दिन के अंदर साखपत्र की रकम की प्रतिपूर्ति करेंगे।

11. विचलनों के माध्यम से संगृहीत निधियों का लागू होना

माह के अंतिम दिन के अनुसार, 'विचलन पूल लेखा निधि' में अधिशेष रकम, यदि कोई है, को अगले माह के पहले सप्ताह में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट 'विद्युत प्रणाली विकास निधि' नामक अलग निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और उसका उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

12. शिथिल करने की शक्ति

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और शिथिलता प्रदान करने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद स्वप्रेरणा से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, इन विनियमों के किसी उपबंधों को साधारण या विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

13. निर्देश जारी करने की शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा वह इन विनियमों के उद्देश्य एवं प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

14. निरसन और व्यावृत्तियां

(1) इन विनियमों के आरंभ होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा संबद्ध मामलों) विनियम, 2009 निरसित समझा जाएगा।

(2) इन विनियमों के आरंभ होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित अंतःविनियम प्रभार एवं संबद्ध मामलों) विनियम, 2009 के किसी संदर्भ से, केविविआ के किसी विनियम, मानक, संहिता या प्रक्रिया को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

(3) इन विनियमों के आरंभ पर, 'क्षेत्रीय अननुसूचित अंतर-विनियम पूल लेखा निधियों' को तब तक संचालित रखा जाएगा जब तक कि इन विनियमों के आरंभ से पूर्व अवधि के लिए यूआई लेखा व्यवस्थापनों को पूरा नहीं कर लिया जाता और यूआई पूल लेखा में कोई बकाया, यदि कोई हो, को विद्युत प्रणाली विकास निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

अजरयं कुमार सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)
[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/13]

अनुबंध I

क्रेता/विक्रेता द्वारा अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु विचलन प्रभारों एवं अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति

1. जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एवजैड और उससे अधिक है।

क. जब डी_{क्षेत्रीय} अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के (+/-)12% या 150 मेगावाट में, जो भी कम है, से कम है तो डी_{क्षेत्रीय} के लिए सामान्य प्रभारों पर प्रतिदेय होगा।

ख. जब डी_{क्षेत्रीय} अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के (+/-)12% या 150 मेगावाट में जो भी कम है से अधिक है।

(i) डी_{क्षेत्रीय} = डी₀ + डी_{12/150}

जहां

- डी₀ = अनुसूचित उत्पादन (एसजी) का (+/-)12%
या 150 मेगावाट जो भी कम है।
- डी_{1,2/150} = प्रत्येक समयब्लॉक में विचलन अनुसूचित उत्पादन (एसजी) का (+/-)12% या 150 मेगावाट जो भी कम हो, से अधिक।
- (ii) डी_{1,2/150} = डी_{डीबी} - डी₀

(iii) डी_{डीबी} के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों पर क्षेत्रीय इकाई द्वारा प्रतिदेय होगा। इसके अलावा, डी_{1,2/150} के लिए विचलन हेतु ग्रेडेड अतिरिक्त प्रभार, प्रत्येक स्लैब में वृद्धिशील विचलन के लिए विचलन के प्रभार के यथास्थिति 20%, 40% और 100% की दर पर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिशतता निबंधन या मेगावाट निबंधनों के आधार पर, मात्रा सीमा का अतिक्रमण करने के लिए अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण के लिए क्षेत्रीय इकाई द्वारा संदेय होंगे। इसका दृष्टांत नीचे दिया गया है:

दृष्टांत 'क' जब अनुसूची का 12%, 150 मेगावाट से कम या उसके समतुल्य है

श्रेणी	विचलन का अतिरिक्त प्रभार
डी _{डीबी} अनुसूची का 12% से अधिक है और 15% तक है।	50 (डी _{डीबी} - अनुसूची का 12%) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार
डी _{डीबी} अनुसूची का 15% से अधिक है और 20% तक है।	100 (डी _{डीबी} - अनुसूची का 15%) + 1.50 x अनुसूची) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार
डी _{डीबी} अनुसूची का 20% से अधिक है	250 (डी _{डीबी} - अनुसूची का 20%)+ 6.50 x अनुसूची) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार

दृष्टांत 'ख' जब अनुसूची का 12%, 150 मेगावाट से अधिक है

डी _{डीबी} 150 मेगावाट से अधिक और 200 मेगावाट तक है	50 x (डी _{डीबी} - 150) x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार
डी _{डीबी} 200 मेगावाट से अधिक और 250 मेगावाट तक है	[100 x (डी _{डीबी} - 200) + 2500] x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार
डी _{डीबी} 250 मेगावाट से अधिक है।	[250 x (डी _{डीबी} - 250)+7500] x समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के लिए तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार

टिप्पण : ईंधन के रूप में कोयले या लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र के अंतर्गत सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे उत्पादन केन्द्रों, जिन्हें केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता है, द्वारा जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.70 एचजैड और उससे अधिक है, विनियम के खंड 7 (1) और (2) में विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा की अधिकता में समयब्लॉकों के दौरान विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार की संगणना 303.04 पैसे/किलोवाट घंटे के विचलन के लिए कैब दर के साथ या समयब्लॉक की औसत ग्रिड फ्रिक्वेंसी के तदनुरूपी विचलन के लिए प्रभार, जो भी कम है, से की जाएगी।

2. जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजैड से नीचे है।

डीटीबी के लिए तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार क्षेत्रीय इकाई द्वारा 824.04 पैसे/किलोवाट घंटे के सामान्य प्रभार संदेय होंगे। इसके अलावा डीटीपी के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त विचलन प्रभार, क्षेत्रीय इकाई द्वारा 824.04 पैसे/किलोवाट घंटे पर संदेय होंगे।

टिप्पण : समयब्लॉक के दौरान विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए विचलन प्रभार एवं अतिरिक्त विचलन प्रभार, जब ईंधन के रूप में कोयले, लिग्नाइट या नियंत्रित कीमत तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत आपूर्ति की गई गैस का प्रयोग करते हुए केविविआ द्वारा विनियमित उत्पादन केन्द्रों द्वारा '49.70 एचजैड' से नीचे है, 303.04 पैसे/किलोवाट घंटे के लिए कैब दर के साथ संगणित किया जाएगा।

अनुबंध II

क्रेता/विक्रेता द्वारा अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए विचलन हेतु विचलन प्रभारों एवं अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धति

क. जब डी_{क्षेत्रीय} अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के (+/-)12% या 150 मेगावाट में, जो भी कम है, से कम है तो डी_{क्षेत्रीय} के लिए सामान्य प्रभारों पर प्रतिदेय होगा।

ख. जब डी_{क्षेत्रीय} अर्थात् मेगावाट में समयब्लॉक में अनुसूची से विचलन अनुसूची के (+/-)12% या 150 मेगावाट में जो भी कम है, से अधिक है।

$$(i) \text{ डी}_{\text{क्षेत्रीय}} = \text{डी}_0 + \text{डी}_{12/150}$$

जहां

$$\text{डी}_0 = \text{अनुसूची उत्पादन (एसजी) का (+/-)12\% या 150 मेगावाट जो भी कम है।}$$

$$\text{डी}_{12/150} = \text{प्रत्येक समयब्लॉक में विचलन अनुसूची उत्पादन (एसजी) का (+/-)12\% या 150 मेगावाट जो भी कम हो, से अधिक।}$$

$$(ii) \text{ डी}_{12/150} = \text{डी}_{\text{क्षेत्रीय}} - \text{डी}_0$$

(iii) डी₀ विचलन के तत्स्थानी विचलन के सामान्य प्रभारों पर या सीमा दर पर, जो भी कम हो, क्षेत्रीय एकक द्वारा प्राप्ति योग्य होगा; क्षेत्रीय इकाई डी_{12/150} के लिए किसी प्राप्ति योग्य के लिए पात्र नहीं होगी।

ग. विचलन डी_{12/150} के लिए अतिरिक्त प्रभार कम निकासी अधिक अंतःक्षेपण के लिए क्षेत्रीय इकाई द्वारा प्रतिदेय होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी इस विनियम के खंड 7(4) के अनुसार 50.10 एचजैड या उससे अधिक है।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2014

No.L-1/132/2013/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2014.
- (2) These regulations shall come into force on 17.2.2014.

2. Definitions and Interpretation

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) 'actual drawal' in a time-block means electricity drawn by a buyer, as the case may be, measured by the interface meters;
 - (c) 'actual injection' in a time-block means electricity generated or supplied by the seller, as the case may be, measured by the Interface meters;
 - (d) 'beneficiary' means a person purchasing electricity generated from a generating station;
 - (e) 'buyer' means a person, including beneficiary, purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term access;

59 GZ/14-4